

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

मलसीसर

अब्दुल वाहिद

बनाम

राज0 सरकार

किस्म मुकदमा: दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती

मु0न0 70 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.05.2025	आज यह दावा वादी की ओर से जरिये एडवोकेट संदीप सिंह राठौड़ बाद जांच पेश हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना मय नकल दावा रजिस्टर्ड एडी से जारी होकर पत्रावली वास्ते तलवी आईन्दा दिनांक 28.05.2025 को पेश हो।	
28/5/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावलीगत अधिसूचना अनुसार आयन्दा दिनांक 21/7/25 को पेश हो	
21/7/25	वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुआ। विद्वान अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस वाद वादी स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस ख0न0 150, 151, 155, 55 कुल किता 4 कुल रकबा 4.03 है0 वाके ग्राम गोखरी में वादी का नाम वाहिद पुत्र दाऊद के स्थान पर सही व दस्तावेजी नाम अब्दुल वाहिद पुत्र दाऊद दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी की ओर से सहखातेदार जायदा बानों पुत्री दाऊद व लाली पत्नी दाऊद ने अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश कर वादी का सही नाम अब्दुल वाहिद पुत्र दाऊद होना बताया है। वादी के शपथ पत्र, वादी के सहखातेदार के शपथ पत्र एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।	
23/7/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावलीगत अधिसूचना अनुसार आयन्दा दिनांक 30/7/25 को पेश हो	
30/7/25	वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुआ। विद्वान अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस वाद वादी स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस ख0न0 150, 151, 155, 55 कुल किता 4 कुल रकबा 4.03 है0 वाके ग्राम गोखरी में वादी का नाम वाहिद पुत्र दाऊद के स्थान पर सही व दस्तावेजी नाम अब्दुल वाहिद पुत्र दाऊद दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी की ओर से सहखातेदार जायदा बानों पुत्री दाऊद व लाली पत्नी दाऊद ने अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश कर वादी का सही नाम अब्दुल वाहिद पुत्र दाऊद होना बताया है। वादी के शपथ पत्र, वादी के सहखातेदार के शपथ पत्र एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।	

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स

तारीख हुकम

अतः बाद वादी स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस ख010
150, 151, 155, 55 कुल किता 4 कुल रकबा 4.03 है0 वाके
ग्राम गोखरी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम वाहिद पुत्र
दाऊद के स्थान पर अब्दुल वाहिद पुत्र दाऊद दर्ज कर राजस्व
रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। दावा फैसल
शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता
दाखिल दफ्तर हो। ५०१

उपखण्ड अधिकारी
मलसीस

